सतत शिक्षा पुस्तकमाला

महिलाओं के कानूनी अधिकार

सुषमा मेढ़

चित्रकार

संतोष गुप्ता

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया

यह पुस्तक शहरी साक्षरता परियोजना (यू.एल.पी.), नयी दिल्ली एवं नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया के संयुक्त तत्त्वावधान में संपन्न कार्यशिविर में तैयार की गई।

ISBN 81-237-3915-X

पहला संस्करण : 2002 (*शक* 1924)

Mahilayon Ke Kanooni Adhikar (*Hindi*)

रु. 13.00

निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, ए-5 ग्रीन पार्क
नयी दिल्ली-110 016 द्वारा प्रकाशित

अनुक्रम

भाग-1

1. हर मोड़ पर उठते सवाल
   बचपन से बुढ़ापे तक 5
2. बुनियादी अधिकार : महिलाओं के लिए भी
   कितना सच, कितना झूठ 9
3. घोर अपराधों से जुड़े कानून
   दंडनीय अपराध और फौजदारी कानून 12
4. महिलाओं के लिए विशेष कानून
   फौजदारी कानून 23

भाग-2

5. महिलाओं की सेहत से जुड़े कानून
   सहूलियत या सजा? 37
6. (क) कामगार महिलाओं के अधिकार और
   विशेष सुविधाएं 43
   (ख) पुलिस से संबंधित अधिकार और कानून 48
7. विवाह और संपत्ति के अधिकार और कानून 53

भाग-3

8. (क) राजनीति में हिस्सेदारी और विशेष आरक्षण 63
(ख) महिला कानूनों की सतत जांच और सुधार 65

भाग-1

हर मोड़ पर उठते सवाल
बचपन से बुढ़ापे तक

आज का समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। इसका असर महिलाओं के जीवन पर भी पड़ रहा है। उनके जीवन में कई बदलाव आ रहे हैं।

बचपन से बुढ़ापे तक महिलाएं कई समस्याओं का सामना करती हैं। रोज-रोज की भाग-दौड़ वाली जिंदगी में उनके जीवन में कई मोड़ आते हैं। हर मोड़ पर उनके मन में कई सवाल उठते हैं।

बड़ी होने पर वह सोचती है—क्या शादी के मामले में वह स्वयं फैसला कर सकती है? रास्ते चलते कोई पुरुष उसके साथ छेड़छाड़ करे तो उसे क्या करना चाहिए? दिहाड़ी पर मालिक पूरी तनखाह न दे, या भेदभाव करे, तो वह उससे कैसे निपटे? क्या पुलिस उसकी मदद करेगी? क्या कानून मदद करेगा?...

बेटी की मां की हालत और भी परेशानी से भरी रहती है।

दहेज को लेकर बेटी की हालत क्या होगी—इस बात का डर उसे दिन-रात सताता रहता है। अगर ससुराल में बेटी के साथ मार-पिटाई हुई तो? परेशान होकर बेटी आत्महत्या कर ले तो? या उसे जलाकर मार डाला गया तो? ऐसी हालत में मां-बाप क्या करें? किसकी मदद लें? क्या कानून मदद करेगा?

अखबारों में और टी.वी. पर आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। बलात्कार, नाबालिग लड़कियों का अपहरण, बाल-विवाह आदि जैसी घटनाएं समाज में घटती रहती हैं।

शहरों में कई समस्याएं महिलाओं के जीवन को कठिन बनाती हैं। रोजी-रोटी की तलाश में महिलाएं दूर-दराज से शहर आती हैं। इनमें से कई गरीब तबके की होती हैं। अपने परिवार के साथ उन्हें झुग्गी-झोंपड़ी में रहना पड़ता है।

कोई दिहाड़ी पर काम करती है, कोई फैक्टरी में। गरीब और अनपढ़ तबके की इन महिलाओं के साथ कई तरह के अन्याय होते हैं। श्रम के मामले में महिला और पुरुष कामगारों के वेतन में भेदभाव होता है। फैक्टरी में काम करते हुए कोई दुर्घटना हो जाए तो इन्हें मुआवजा नहीं मिलता।

अगर वह शिकायत लिखवाने पुलिस थाने जाती है, तो पुलिस शिकायत लिखने से मना कर देती है। वह उसकी कही हुई बात पर भरोसा नहीं करती। अगर थाने पर दारोगा



शिकायतकर्ता की शिकायत लिखना पुलिस का कर्त्तव्य है।

शिकायत दर्ज न करे तो उसे क्या करना चाहिए? क्या इन सब बातों के संबंध में कोई कानून है?

ज्यादातर महिलाएं इन यातनाओं और ज्यादतियों को चुपचाप सह लेती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं इसका सामना करती हैं, उसके विरुद्ध आवाज उठाती हैं।

याद रहे, हर समाज में लोगों की हिफाजत के लिए कानून बने हुए हैं। ये कानून हमारे अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। महिलाओं को भी ये अधिकार हासिल हैं। इसके अलावा, महिलाओं के लिए विशेष कानून भी बने हैं।

अधिकतर लोग कानून का पालन करते हैं। शांति और भाईचारे से रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कानून

तोड़ते हैं। अपराध करते हैं। कई अपराध सिर्फ महिलाओं के साथ होते हैं, जैसे—दहेज-हत्या, बलात्कार आदि। इन सभी अपराधों के लिए कानून बने हैं। अपराधियों के लिए कड़ी सजा का नियम है।

फिर भी अधिकतर महिलाएं चुपचाप अत्याचार सहती रहती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है—महिलाओं में कानूनी जानकारी की कमी। इसके अलावा, रीति-रिवाजों की आड़ में दहेज जैसी परंपराओं का अभी भी चलन है। इसकी आड़ में महिलाओं के साथ कई अत्याचार होते हैं। समाज में बदनामी के डर से महिलाएं इन अत्याचारों को सहती रहती हैं। बेटी के पैदा होने पर मां को ही दोष दिया जाता है। ऐसी हालत में महिला साहस कैसे जुटा पाए? क्या कानून उनकी सहायता करेगा?

इसके अलावा, गरीब तबके की महिलाएं ज्यादातर अनपढ़ होती हैं। उनके साथ आसानी से धोखा हो सकता है। यहां तक कि पढ़ी-लिखी महिलाओं में भी कानूनी जानकारी की कमी है।

बलात्कार का मामला हो या दहेज का, यह पूरे समाज की समस्या है। महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने में पूरे समाज को आगे आना होगा। इसमें पुरुषों की हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। महिलाएं ताकतवर होंगी तो परिवार ताकतवर होगा। पूरा समाज ताकतवर होगा।

बुनियादी अधिकार : महिलाओं के लिए भी कितना सच, कितना झूठ

हमारे देश में हर नागरिक को बुनियादी अधिकार मिले हैं। जैसे, हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार, रोजी-रोटी कमाने का अधिकार। चाहे औरत हो या मर्द, दोनों को समान अधिकार मिले हैं। इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बने हैं।

इन कानूनों को तोड़ना अपराध है। मर्द हो या औरत, इन्हें तोड़ने पर उसे सजा हो सकती है।

क्या आप इन बुनियादी अधिकारों के बारे में जानती हैं? आइए, हम इनके बारे में जानें।

समानता का कानून

कानून की नजर में सब लोगों को समान दर्जा हासिल है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। महिला हो या पुरुष, किसी भी धर्म-जाति के हों, दलित हो या ठाकुर, कानून की नजर में सब बराबर हैं।

बेटा हो या बेटी, दोनों में भेदभाव करना कानूनन

अपराध है। मजदूर चाहे औरत हो या मर्द, दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।

कानून कहता है शादीशुदा होना या मां बनना नौकरी में बाधक नहीं। समानता का कानून सब जगह लागू होगा।

निजी आजादी से जुड़े अधिकार

हर नागरिक को अपनी निजी आजादी के लिए कानूनी अधिकार दिए गए हैं। ये इस प्रकार हैं :

- अपनी बात कहने और अपने विचार जाहिर करने का अधिकार।
- शांति के साथ बिना हथियार इकट्ठा होने का अधिकार।
- कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार।
- संघ या संस्था बनाने का अधिकार, या संगठित होने का अधिकार।
- कहीं भी जाने या बसने का अधिकार।
- सम्मान से जीने और रोजी-रोटी कमाने का अधिकार।

ये सभी अधिकार महिलाओं को भी उतने ही हासिल हैं जितने पुरुषों को। महिलाओं से इन अधिकारों को छीनना कानूनन अपराध है।

लेकिन सचाई क्या है? क्या महिलाओं को ये अधिकार हासिल हैं? महिलाओं को बचपन से चुप रहना सिखाया जाता है। उनके सारे फैसले कोई और तय करता है। चाहे

पढ़ाई का मामला हो, या शादी का, वे अपना निर्णय खुद नहीं ले पातीं। शादी के बाद अगर नौकरी करना चाहती हों, या बच्चे कब और कितने चाहिए, इसका फैसला भी वह नहीं कर पातीं। इसका मतलब यह हुआ कि उनके अपने शरीर पर भी उनका अधिकार नहीं।

कानून की नजर में ये सभी बातें गैर-कानूनी हैं। कुछ महिलाएं ये फैसले खुद ले पाती हैं, परंतु उनकी तादाद बहुत कम है।

घोर अपराधों से जुड़े कानून

दंडनीय अपराध और फौजदारी कानून

महिलाओं के साथ कई प्रकार के अत्याचार और अपराध होते हैं। बलात्कार, भगा कर ले जाना, अपहरण, मार-पीट, दहेज के कारण हत्या, यौन उत्पीड़न आदि कई घटनाएं इनमें शामिल हैं।

कानून के तहत ये सभी घोर अपराध हैं। कानून में इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा तय की गई है। इनसे जुड़े कानूनों को 'फौजदारी कानून' कहते हैं।

फौजदारी कानून क्या है?

फौजदारी कानून में पुलिस में शिकायत दर्ज होती है। इसके बाद कानूनी छानबीन होती है। बयान लिए जाते हैं। सबूत और गवाह पेश किए जाते हैं। अदालती जांच होती है।

इसमें एक तरफ शिकायत करने वाले होते हैं। ये पीड़ित महिलाएं खुद होती हैं। दूसरी तरफ अपराधी होते हैं। बीच में पुलिस, वकील और अदालतें होती हैं। अदालत कानूनी कार्यवाही करती है। जिस महिला के साथ अत्याचार हुआ है

उसकी मदद के लिए सरकार वकील का इंतजाम करती है।

यह देखा गया है कि आमतौर पर महिलाएं समाज अथवा बदनामी के डर से थाने में शिकायत दर्ज नहीं करवातीं। ऐसे में कानून उनकी मदद नहीं कर सकता। अपराध महिला के साथ हुआ है। इसमें वह दोषी नहीं है। इसलिए पुलिस में शिकायत लिखवाना जरूरी है।

आइए, हम फौजदारी कानूनों के बारे में जानें और उन्हें समझें।

अमीना की बस्ती में 'नारी अदालत'

अमीना शहर की एक गरीब बस्ती में रहती है। यहां की लगभग सभी महिलाएं अनपढ़ हैं। वे नौकरी और रोजी-रोटी की खोज में अपने परिवारों के साथ शहर आई हैं। अलग-अलग समुदायों और बिरादरी की औरतें यहां रहती हैं। कोई बिहार से है, तो कोई मद्रास से। अमीना पढ़ी-लिखी है। वह बस्ती की महिलाओं को लिखाई-पढ़ाई सिखाती है।

एक दिन बस्ती पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। बस्ती की एक औरत तारा की बेटी का अपहरण हो गया। फौजदारी जांच की बात हो रही थी। पर बस्ती की महिलाओं को फौजदारी कानूनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अमीना ने बस्ती में 'नारी अदालत' का आयोजन किया। उसने बस्ती की बहनों को बताया कि नारी अदालत में शहर की



अमीना की बस्ती में 'नारी अदालत'।

जानी-मानी वकील आएंगी। वे बस्ती के लोगों को फौजदारी कानूनों के बारे में बताएंगी, उनकी समस्याएं भी सुनेंगी और सुलझाएंगी।

बलात्कार

बस्ती में नारी अदालत बुलाई गई। महिलाओं के मामलों की जानी-मानी वकील बहन ने फौजदारी कानूनों के बारे में बताना शुरू किया–

"बहनो और भाइयो! कानून के तहत 'बलात्कार' एक दंडनीय अपराध है। महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाला यह घोर अपराध है। कानून के तहत इस अपराध की सजा उम्र कैद तक हो सकती है।

"कई बार यह अपराध नाबालिग बच्चियों के साथ भी होता है। यहां तक कि सामूहिक बलात्कार की वारदातें भी होती हैं।

"महिलाओं के शरीर और सम्मान के साथ यह घोर अत्याचार है। इस अन्याय को कभी माफ नहीं किया जा सकता।"

वकील बहन बलात्कार कानून के बारे में जानकारी दे रही थीं।

'बलात्कार' कब कहा जाएगा?

- जब स्त्री की इच्छा या सहमति के बिना शारीरिक जबरदस्ती हो।

- यह जबरदस्ती डरा-धमका कर, मुंह बंद करके आदि तरह से हो।
- लालच देकर, फुसला कर नाबालिग बच्चियों के साथ ऐसा अत्याचार हो।
- ऐसा बदला लेने की भावना से हो या पीड़िता के नशे की हालत में हो।
- मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ जबरदस्ती हो।
- पति अगर नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक जबरदस्ती करे।

इन सारे हालात में जब कोई पुरुष स्त्री के साथ लैंगिक जबरदस्ती करता है तो उसे 'बलात्कार' कहते हैं।

कानून साफ कहता है :

जिस स्त्री के साथ बलात्कार हुआ है, वह स्त्री अपराधी नहीं है। बलात्कार करने वाला पुरुष अपराधी है। बलात्कार में साथ देने वाले सभी लोग अपराधी हैं।

यह अपराधी कौन हो सकता है?

यह अपराध करने वाला एक गैर मर्द हो सकता है। पर यह परिवार का सदस्य भी हो सकता है। यहां तक कि पुलिस भी हो सकती है, और नौकरी वाले स्थान पर मालिक भी हो सकता है। नाबालिग पत्नी का पति अपनी पत्नी से बलात्कार कर सकता है।

इसलिए इस घोर अपराध से जुड़े कानूनी पहलुओं को जानना बहुत जरूरी है।

बलात्कार की शिकायत थाने में कैसे होगी?

प्रायः ऐसा देखने में आया है कि अपराधी बलात्कार करके भाग जाता है। अपराधी को पकड़वाना और सजा दिलवाना हमारा फर्ज है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। इस अन्याय से सुरक्षा के लिए विशेष कानून बने हैं। इसके तहत कई नियमों को जानना जरूरी है।

याद रखें

- पुलिस थाने में रपट लिखवाना जरूरी है। बदनामी के डर से इस अपराध को छुपाना नहीं चाहिए। पीड़ित महिला की मदद करें। बलात्कार करने वाला और साथ देने वाला/वाले सभी अपराधी हैं।
- अपराधी को पकड़वाने में ठोस सबूतों का होना जरूरी है। इन सबूतों को इकट्ठा करें। सबूत नष्ट न होने दें।
- अपराधी को पकड़वाने के लिए ठीक-ठीक गवाही देना जरूरी है।
- परिवार का सदस्य अपराधी है तो उसे भी बचाने की कोशिश न करें।
- पुलिस अपराधी है तो बड़े अफ़सर से शिकायत करें। पुलिस के डर से अपराध को न छुपाएं।

कानून के तहत कार्यवाही

कानून के तहत क्या-क्या कदम उठाने होंगे यह जानना जरूरी है। इसके 'फौजदारी' नियमों को ध्यान में रखें।

- कोई भी महिला अपने साथ हुए हादसे की थाने में शिकायत कर सकती है। उसकी हालत ठीक न हो, तो परिवार वाले या उसे जानने वाले शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
- याद रहे, यह सूचना गुप्त रखी जाएगी। कानूनी कार्यवाही बंद अदालत में होगी। सरकारी वकील आपकी मदद करेगा।

पीड़ित महिलाएं किन बातों का ध्यान रखें?

बलात्कार की शिकायत होने पर डाक्टरी जांच हो सकती है। इसके अंतर्गत शरीर की जांच हो सकती है। पहने हुए कपड़ों की जांच हो सकती है। कानून सलाह देता है कि :

- जांच से पहले पीड़ित महिला कपड़े न बदले। शरीर की जांच महिला डाक्टर करे या किसी महिला की उपस्थिति में जांच हो।
- अपराधी भागने में सफल हुआ है तो उसकी पहचान की कुछ निशानियां याद रखें। अपराधी की पहचान में पुलिस की मदद करें।
- पुलिस गलत बयान लिख सकती है। अनपढ़ महिला के

साथ धोखा हो सकता है। पुलिस द्वारा लिखे गए बयान को पढ़वा लें। बयान को ध्यान से सुनें। किसी पढ़े-लिखे व्यक्ति या परिवार के सदस्य को साथ रखें।

- प्रभावशाली अपराधी रिश्वत देकर पुलिस का मुंह बंद कर सकता है। कोई बड़ा नेता भी अपराधी हो सकता है। ऐसी हालत में अपनी तरफ भी प्रभावशाली लोगों का साथ हासिल करें।
- सबूत और गवाही का पक्का होना जरूरी है।

शिकायत कैसे दर्ज होगी?

- शिकायत करने पर पुलिस अपने रजिस्टर में इस शिकायत को लिखेगी। इसके बाद लिखवाने वाले को पढ़कर सुनाएगी।
- लिखित शिकायत पर पुलिस पीड़ित महिला के दस्तखत करवाएगी या अंगूठे का निशान लगवाएगी। लिखी गई शिकायत को ध्यान से सुनिए। कोई बात छूट न जाए। कहीं पुलिस कोई गलत बात न लिख दे। पूरा ध्यान रखें। इसके बाद ही दस्तखत करें या अंगूठे का निशान लगाएं। पुलिस हमेशा महिला के दाएं अंगूठे का निशान लेती है।
- ध्यान रहे, इस कार्यवाही के लिए पीड़ित महिला का थाने जाना जरूरी नहीं। पुलिस स्वयं पीड़ित के घर आकर यह सारी कार्यवाही करेगी।

- पूरा बयान दर्ज होने के बाद कानूनी छानबीन शुरू होगी।

'नारी अदालत' में बैठे एक आदमी ने पूछा, "बहनजी, अगर पुलिस शिकायत लिखने से मना कर दे तो हमें क्या करना चाहिए?" वकील बहन ने कहा, "ऐसी हालत में पुलिस के बड़े अफसर से शिकायत करें। बलात्कार की सूचना आप सीधे जिला न्यायाधीश को भी दे सकते हैं। जज साहब खुद छानबीन करवा सकते हैं।

"अपराधी अगर ताकतवर या प्रभावशाली है तो उसके विरुद्ध आप सीधे मुख्यमंत्री से भी शिकायत कर सकते हैं।"

पुलिस के द्वारा छानबीन

"शिकायत लिखवाने के बाद पुलिस छानबीन करेगी। याद रखें, पूछताछ के समय महिला को थाने जाना जरूरी नहीं। पुलिस घर पर आकर पूछताछ करेगी। अपराधी को पकड़ कर अदालत में लाना पुलिस की जिम्मेदारी है। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। सबूत और गवाहों की पेशी होगी। इस छानबीन के आधार पर अदालत फैसला देगी। कानून के तहत इस अपराध के लिए उम्र कैद तक की सजा हो सकती है।

"सबसे अहम बात है कि कानून पीड़ित महिला के साथ है। बलात्कार के लिए महिला अपराधी या दोषी नहीं। जिस पुरुष ने यह कृत्य किया है, वह अपराधी है।"

दूसरे व्यक्ति ने पूछा, "वकील जी, ऐसे हादसों के लिए कानूनी सहायता कहां से मिल सकती है? हम तो गरीब आदमी हैं। हमारे पास वकील-कचहरी करने के लिए पैसा भी नहीं है। न ही हममें इतनी समझ है।"

वकील बहन ने कहा, "हां, आप जैसे लोगों के लिए सहायता की सुविधाएं हैं। हमारे साथ राजन भाई आए हैं। ये समाज सेवी संस्था में काम करते हैं। राजन भाई आपको बताएंगे कि सलाह-सहायता कहां से मिल सकती है।"

राजन भाई ने बताया, "कानून को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई सुविधाएं हैं। आपके शहर या इलाके में कई सरकारी महकमे काम करते हैं। इसके अलावा कई गैर-सरकारी संस्थाएं भी काम करती हैं। ये संस्थाएं कानूनी सहायता और सलाह देती हैं। महिलाओं की मदद के लिए ऐसी संस्थाओं का खास इंतजाम किया गया है।

"इसके अलावा, आपके कस्बे में सरकारी दफ्तर या नगरपालिका होती है। वहां पर भी सहायता मिल सकती है। महिलाओं के लिए कुछ खास संस्थाएं और संघ बने हुए हैं। इनमें कानूनी सहायता और जानकारी के लिए विशेष सेल या विभाग बनाए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि पुलिस थाने में भी अब एक अलग 'महिला सेल' बनाया गया है? इस सेल में सिर्फ महिला पुलिस काम करती हैं।"

राजन भाई ने बताया कि ये सभी सुविधाएं महिलाओं की

सहायता के लिए बनाई गई हैं। हर बस्ती में इन संस्थाओं के बारे में, जैसे, इन संस्थाओं के नाम, पता, टेलीफोन नम्बर आदि की जानकारी होनी चाहिए।

नारी अदालत में शामिल सभी लोगों ने वकील बहन एवं राजन भाई की बातें ध्यान से सुनीं। उन्होंने बलात्कार से जुड़े 'फौजदारी कानून' के बारे में जानकारी हासिल की। थाने में होने वाली पूरी कार्यवाही के बारे में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला।

बस्ती की पढ़ी-लिखी महिला अमीना ने नारी अदालत के जरिए बस्ती के लोगों को बलात्कार कानून की जानकारी दिलवाई। सब लोग अमीना की तारीफ कर रहे थे। उसे धन्यवाद दे रहे थे।

महिलाओं के लिए विशेष कानून

फौजदारी कानून

अपहरण, अनैतिक व्यापार

अपराध की दुनिया में बड़ी लड़कियों से लेकर भोली-भाली लड़कियों तक के अपहरण के किस्से सुनने में आते हैं। शादी का लालच देकर, बहला-फुसला कर या जबरन लड़कियों के अपहरण की वारदातें भी देखी जाती हैं।

ऐसी वारदातों के साथ एक दूसरा घोर अपराध भी जुड़ा है। यह अपराध है—लड़कियों का व्यापार। उनका बेचा और खरीदा जाना। इस तरह लड़कियों का अनैतिक व्यापार होता है। यह व्यापार देश की सीमा के बाहर दूसरे देशों तक फैला है। इसमें से ज्यादातर लड़कियां वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दी जाती हैं।

कानून के तहत लड़कियों/महिलाओं का अपहरण और अनैतिक व्यापार घोर दंडनीय अपराध है। इस तरह के अपराध का जाल बहुत बड़ा और फैला हुआ होता है। कई बार इसमें बड़े-बड़े अपराधी गिरोह काम करते हैं।

ऐसा अपराध हो तो क्या करें? ऐसा हादसा होने पर पुलिस में सूचना देना जरूरी है। पुलिस को रिपोर्ट लिखवाते समय कई आवश्यक सूचनाएं देना जरूरी होता है, जैसे—बच्ची या लड़की का नाम, उम्र, वारदात के समय वह क्या पहने थी, उसकी शक्ल-सूरत, रंग कैसा है, आदि। क्या कोई खास निशान है जिससे उसकी पहचान हो सके, उसकी भी जानकारी दें। इसके अलावा अपना नाम, पता आदि भी लिखवाना जरूरी है।

लड़कियों का अपहरण करके उन्हें अनैतिक वेश्यावृत्ति के लिए बेचना घोर अपराध है। इसके लिए विशेष कानून बना है। इसे 'अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956' कहते हैं। इस कानून के तहत अपराधी को तीन से चौदह साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बाद कानूनी छानबीन होती है। फौजदारी और अदालती कार्यवाही होती है।

याद रहे, इन अपराधों की जांच-पड़ताल के लिए सरकार ने खास विभाग बनाए हैं। कई संस्थाएं इस विभाग के साथ जुड़ी हैं। पुलिस विभाग के साथ खुफिया महकमा भी छानबीन करता है। इन हादसों की जांच-पड़ताल में ये सभी महकमे और संस्थाएं साथ मिलकर काम करती हैं।

कई लड़कियों को इन हादसों से बचाया गया है। ऐसी स्थिति में उन्हें हिफाजत से उनके घर पहुंचाया जाता है।

उन्हें नया जीवन शुरू करने में मदद दी जाती है।

ऐसे हादसों से निपटने के लिए पुलिस विभाग और जांच कर रहे संबंधित सभी महकमों को पूरा सहयोग दें। अपराधी को पकड़वाना, और कानून के तहत उसे सजा दिलवाना भी आपका कर्तव्य है।

लड़कियों के साथ 'छेड़छाड़' और 'छींटाकशी'

दोस्तों के बीच या परिवार में हंसी-ठिठोली के साथ छेड़छाड़ और छींटाकशी एक आम बात है। यह लोगों के बीच स्नेह भाव की निशानी है।

मगर कई बार यह साधारण-सी बात एक जुर्म बन जाती है। शहरों-कस्बों में लड़कियों या महिलाओं को अक्सर घर से दूर सफर करना पड़ता है। लड़कियां पढ़ने, नौकरी करने अथवा घर के कामकाज के लिए पैदल या बस में सफर करती हैं। आपने सुना होगा या देखा होगा कि बस स्टैंड पर, या पैदल चलती लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और छींटाकशी होती है। समाज में जो बुरी नजर या सोच वाले लड़के या पुरुष हैं, वे ऐसी हरकतें करते हैं।

बस में सफर करती छात्राओं या काम पर जाने वाली महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार होता है। यह कई प्रकार से होता है—बुरी या गंदी नजर से देखना, अभद्र शब्दों का प्रयोग, शारीरिक छेड़छाड़ आदि।



लड़कियों/महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या छींटाकशी कानूनन अपराध है।

छेड़छाड़ और छींटाकशी कानूनन अपराध है। इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाने पर कानूनी छानबीन होती है। अपराधी को जुर्माना और/या कैद की सजा हो सकती है। यह अपराध फौजदारी कानून के तहत आता है।

यौन-उत्पीड़न की समस्या : कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिले?

नौकरी करने की जगह दफ्तर भी हो सकता है और कारखाना भी। दिहाड़ी पर मजदूर कामगार महिला के लिए वह पत्थर तोड़ने, ईंट ढोने या इसी तरह के किसी अन्य काम की जगह हो सकती है। इन सभी काम करने की जगहों पर महिला कामगारों की हिफाजत का जिम्मा मालिक का होता है।

देखा गया है कि इन सभी जगहों पर अक्सर महिला कामगार 'यौन-उत्पीड़न' का शिकार होती हैं। समाज और इज्जत के डर से ज्यादातर महिलाएं इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पातीं।

आपको जानकर तसल्ली होगी कि पिछले कुछ सालों में कामगार महिलाओं ने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई है। ऐसी कई घटनाओं की कानून के तहत सरकारी जांच हुई है।

लेकिन दुख की बात है कि ऐसी कई घटनाओं में अपराध साबित नहीं हो पाता। लिंग के आधार पर दफ्तर में

महिलाओं पर मालिक या दफ्तर के अन्य पुरुष सदस्य दबाव डालते हैं। उन्हें कई तरह से परेशान किया जाता है। जैसे–

- काम में गलतियां निकालना, नौकरी में बढ़ोतरी को रोक देना।
- शब्दों के द्वारा सबके सामने उसे नीचा दिखाना, धमकियां देना।
- अकेले में जबरदस्ती करना। उसके अंग या कपड़ों पर अभद्र नजर डालना।
- उसका तबादला करवा देना। मालिक से गलत शिकायत करना। उसके चरित्र को बुरा बताना।

अधिकतर महिलाएं बदनामी के डर से या गरीबी की वजह से ये जुल्म सहती रहती हैं। पर कुछ महिलाओं ने कानून के तहत इसकी शिकायत की है। अदालती जांच भी हुई है। इन सारी वारदातों के कारण सबसे ऊंची अदालत ने यौन-उत्पीड़न की समस्या के हल के लिए कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं। लेकिन पहले देखें कि यौन-उत्पीड़न है क्या?

यौन-उत्पीड़न कब माना जाएगा?

- कामगार महिला या दफ्तर में कार्यरत महिला कर्मचारी की तरफ मालिक या साथ काम करने वाला पुरुष अनचाही नजरों से देखे। इस तरह के हावभाव प्रकट करे जिससे औरत के सम्मान को आघात लगे;

- ऐसी भाषा या शब्दों का उपयोग करे जिसमें यौन-संबंधी मतलब छिपा हो; उसके शरीर या कपड़ों के बारे में अनैतिक बातचीत करे, उसके चरित्र पर छींटाकशी करे;
- उसे गलत इरादे से छूने-छेड़ने की कोशिश हो;
- अकेले में शारीरिक संबंध के लिए मजबूर किया जाए;
- ऐसा न करने पर उसे तरह-तरह की धमकियां दे। यह मुंहजबानी भी हो सकती है और लिख कर भी;
- अगर इस तरह की हरकतें नौकरी करने की जगह पर हों और मालिक खुद अपनी ताकत का जोर दिखाए;

ये सभी हरकतें 'यौन-उत्पीड़न' के तहत मानी जाएंगी। सबसे ऊंची अदालत ने कानून के तहत यह तय किया है।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश

इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय ने हर काम करने वाली संस्था को निर्देश जारी किया है। इसके अंतर्गत कामगार महिलाओं की हिफाजत के लिए हर संस्था को यौन-उत्पीड़न के हादसे और इससे संबंधित शिकायत की छानबीन के लिए एक खास समिति या 'सेल' (प्रकोष्ठ) बनाना होगा।

इस समिति में वकील, शहर के जाने-माने लोग और महिला सदस्य होंगे। इसके अलावा संबंधित संस्था के लोग

भी होंगे। महिला वकील का होना जरूरी है। इस समिति की नेता भी महिला होगी।

अगर यौन-उत्पीड़न की कोई घटना होती है, तो इस समिति में उसकी शिकायत दर्ज होगी। समिति उसकी छानबीन करेगी।

जरूरत पड़ने पर एक खास जांच उप-समिति का गठन भी किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत यह उप-समिति बनाई जा सकती है। छानबीन अदालती नियमों के तहत होगी।

यह उप-समिति अपराध होने की स्थिति में उस पर निर्णय देगी। इसके लिए सजा की सिफारिश करेगी। दोषी संस्था को इस सजा के आदेश का पालन करना होगा।

ऐसी घटनाओं के अंतर्गत अपराधी को नौकरी से निकाला जा सकता है। अदालती कार्यवाही होने पर जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।

शहरों में काफी अधिक संख्या में लड़कियां और महिलाएं नौकरी पर जाती हैं। उनके लिए अदालत का यह निर्देश बहुत महत्त्वपूर्ण है।

दहेज : रीति-रिवाजों से घिरी समस्या

दहेज शादी के रीति-रिवाजों से जुड़ी एक प्रथा है। कानून के तहत दहेज देने और लेने दोनों पर पाबंदी है। यह

'दहेज निषेध अधिनियम, 1961' का कानून है।

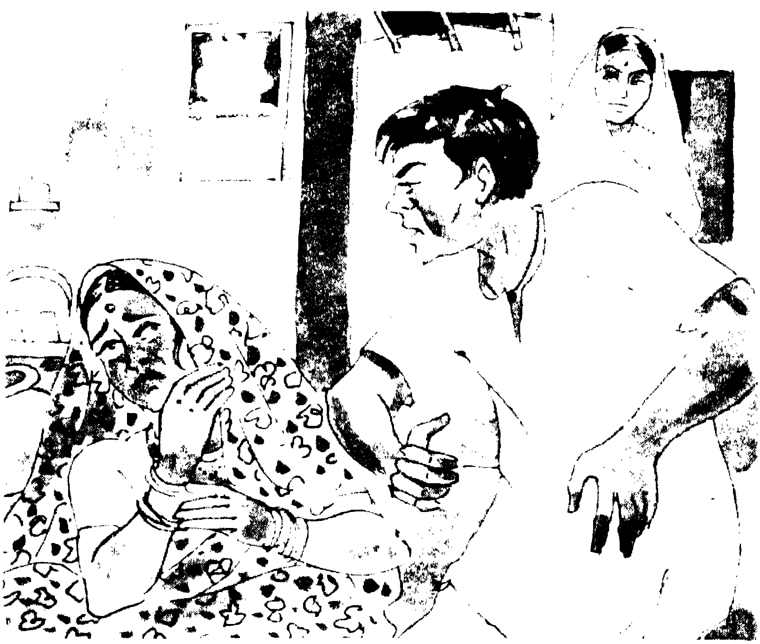
इस अधिनियम के बावजूद रीति-रिवाज की आड़ में दहेज को लेकर महिलाओं पर कई अत्याचार होते हैं।

दहेज का मसला समय के साथ बढ़ता ही गया है। समाज में अधिक पढ़े-लिखे लड़के का 'दहेज दाम' भी अधिक होता है। लड़की के मां-बाप बेटी की खुशी और सुख के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज देने की कोशिश करते हैं। कर्ज में डूब कर भी वे इस मांग को पूरा करते हैं।

क्या आप जानते हैं कि हैसियत से अधिक दहेज देना भी गैर-कानूनी है?

दहेज का लालच कई मामलों में पति और उसके घरवालों

दहेज को लेकर पति या ससुराल वालों द्वारा वधू की मार-पिटाई या प्रताड़ना कानूनन अपराध है।



को अंधा बना देता है। शादी से लेकर शादी के बाद तक लड़की पर कई तरह के जुल्म होते हैं। ताने, मार-पिटाई, तरह-तरह की फरमाइशें आदि नवविवाहित स्त्रियों के साथ होने वाली आम घटनाएं हैं। यहां तक कि बहू को जला कर मार डालने के किस्से भी देखने-सुनने को मिलते हैं। कई बार लड़की को इतना सताया जाता है कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है।

दहेज-निषेध कानून क्या कहता है?

- दहेज मांगना, देना-लेना, उसमें मदद करना कानूनन जुर्म है।
- इसकी आड़ में बहू पर किया गया हर जुल्म घोर अपराध है।
- इन अपराधों की शिकायत होने पर सख्त कानूनी छानबीन होती है।
- इन अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का नियम है। इसमें कई सालों की कैद और जुर्माना हो सकता है।
- दहेज को लेकर किया गया हर अपराध 'फौजदारी कानून' के तहत आता है।

याद रहे

कानून का यह नियम बहुत कम लोगों को मालूम है कि दहेज में दी गई हर एक वस्तु पर लड़की का अधिकार होता है।

ससुराल वाले इसे अपने अधिकार में नहीं रख सकते। बहू अपनी मरजी से जिसे चाहे उसे दे सकती है।

शादी में दिए गए उपहार

परिवार वालों के लिए शादी एक खुशी का मौका होता है। दोस्त और मित्रों के लिए भी यह खुशी मनाने का मौका है। दूल्हा-दुल्हन को हर तरफ से उपहार मिलते हैं। ये उपहार 'दहेज' में नहीं गिने जाते।

उपहारों के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। इन्हें जानना जरूरी है।

- दुल्हन और दूल्हे को अलग-अलग उपहार मिलते हैं और साथ भी। कानून का नियम कहता है कि शादी के समय इन उपहारों की फेहरिस्त या सूची बनाई जाए। इस सूची पर वर-वधू दोनों के दस्तखत ले लिए जाएं।
- इन उपहारों पर वर-वधू का बराबर हक होगा।

दहेज से जुड़े अपराध और सजा कानून

दहेज के अपराधों के संबंध में नीचे लिखे गए तीन कानून/नियम हैं :

- भारतीय दंड नियम, 1860 : इस नियम से हमें दहेज से जुड़े दंडनीय अपराधों के बारे में जानकारी मिलती है।
- भारतीय गवाह अधिनियम, 1872 : यह कानून हमें कई अहम जानकारी देता है। अपराध को साबित करने के

लिए जिन बातों का ध्यान रखना होगा उससे जुड़ी जानकारी हमें मिलती है। इस नियम में सबूतों और गवाही के बारे में जानकारी दी गई है।

- सजा की कार्यवाही का नियम, 1973 : इस नियम से हमें कानूनी कार्यवाही और सजा के नियमों के बारे में जानकारी मिलती है।

दहेज के अपराध की सजा

- दहेज से जुड़े अपराधों के लिए पति और उसके घरवालों को कैद और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। जिस तरह का उत्पीड़न होगा उसके मुताबिक सजा होगी। दहेज लेने और देने के लिए 5 वर्ष की कैद और करीब 15,000/- रु. जुर्माना हो सकता है।
- अगर लड़की की हत्या की गई है या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है तो जिम्मेदार लोगों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। मौत के दोनों कारणों में पुलिस में रपट लिखवाना जरूरी है।
- दहेज मांगने की सजा छह महीने कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है।

पुलिस की कार्यवाही

- थाने में हत्या या आत्महत्या की रपट दर्ज होगी। जिस पर शक है उसके खिलाफ बयान लिखवाना होगा।

- पुलिस इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को देगी। इसके बाद घटना की छानबीन होगी।
- पुलिस घटना स्थल पर जाकर जांच करेगी।
- घटना की जगह पर मौजूद लोगों की उपस्थिति में रपट लिखी जाएगी। उनसे भी पूछताछ होगी।
- पुलिस लाश की डाक्टरी जांच की कार्यवाही करेगी।
- लिखित रपट के दस्तावेज पर पुलिस और जानने वाले लोगों के दस्तखत होंगे। जिसने शिकायत दर्ज करवाई है, उसके भी दस्तखत होंगे।
- जांच के बाद रपट जिले के बड़े अफसर (जिलाधीश) को भेजी जाएगी।
- आगे की कार्यवाही जिलाधीश तय करेंगे।
- सबूत और गवाही के आधार पर खास ध्यान दिया जाएगा।

इस घोर अपराध के लिए कड़ी कैद की सजा का नियम है। यह कैद 14 साल तक की हो सकती है। इसका अपराधी जुर्माना देकर नहीं छूट सकता।

दहेज-उत्पीड़न की शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है?

- जो महिला दहेज-मांग से पीड़ित हो;
- पुलिस अफसर जानकारी मिलने पर शिकायत दर्ज कर सकता है;

- समाजसेवी संस्थाएं पीड़ित महिला की तरफ से शिकायत लिखवा सकती हैं;
- महिलाओं की समस्या से जुड़े सरकारी विभाग यह काम कर सकते हैं;
- लड़की के माता-पिता या अन्य मित्र सदस्य यह कर सकते हैं।

फौजदारी कानून के तहत आने वाले दूसरे अपराध

पति या उसके परिवार द्वारा बहू की मार-पिटाई, कहीं आने-जाने पर पाबंदी, गैर-कानूनी गर्भपात आदि अपराध फौजदारी कानून के तहत आते हैं।

भाग-2

महिलाओं की सेहत से जुड़े कानून
सहूलियत या सजा?

डाक्टरी गर्भपात कानून

महिलाओं को कुछ ऐसे भी अधिकार हासिल हैं जो उनके स्वास्थ्य से जुड़े हैं। इन्हीं में से एक अधिकार गर्भवती महिलाओं के लिए है।

कभी-कभी गर्भवती महिला की डाक्टरी जांच में पता चलता है कि मां या बच्चे/भ्रूण को खतरा है। इसमें गर्भवती औरत की मौत भी हो सकती है। ऐसी हालत में डाक्टर गर्भपात की सलाह देता है। कानून के तहत गर्भवती महिला गर्भपात करवा सकती है।

इस कानून को 'डाक्टरी गर्भपात अधिनियम, 1971' कहते हैं।

गर्भपात कब जायज माना जाएगा?

- अगर मां या गर्भ में भ्रूण की सेहत को खतरा हो, या

दोनों की जान को खतरा हो। शिशु के गंभीर रूप से विकलांग होने के आसार हों।

- यदि बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की गर्भवती हो जाए।
- अगर गर्भनिरोधक गोली या उपचार असफल हो जाए। अगर परिवार नियोजन के कारण इसकी जरूरत हो।
- अगर महिला पागलपन की शिकार हो।
- अगर महिला बहुत ही कमजोर हो; उसमें खून की कमी हो।

इसके अलावा

- गर्भ-समापन गर्भवती महिला की मरजी पर होगा। इसके लिए किसी और व्यक्ति की इजाजत जरूरी नहीं।
- यह उपचार पंजीकृत अस्पताल और पंजीकृत डाक्टर के हाथ से करवाना ही वैध है।
- डाक्टरी सलाह के बाद बच्चा गर्भ के पहले 12 सप्ताह में ही गिराया जा सकता है। अगर समय बढ़ गया हो तो भी 20 सप्ताह से ऊपर गर्भपात खतरनाक हो सकता है।

गर्भपात कानून का दुरुपयोग

महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग गैर-कानूनी है।

गर्भपात कानून का दुरुपयोग गैर-कानूनी कब माना जाएगा?

- लापरवाही और नाजायज रिश्तों के कारण गर्भ ठहर जाए और ऐसी हालत में छिपकर गर्भपात करवाया जाए, तो वह गैर-कानूनी माना जाएगा।
- नाजायज गर्भपात कराते समय अगर लड़की की मृत्यु हो जाए, या महिला को गर्भपात करवाने से रोका जाए तो यह गैर-कानूनी है। यदि वह गर्भपात कराना चाहती है, तो यह उसका अधिकार है।
- नाजायज गर्भपात करने वाले डाक्टर भी अपराधी हैं।
- गर्भपात दाई से करवाने पर जान का खतरा हो सकता है। यह गैर-कानूनी भी है।
- जबरदस्ती करवाया गया गर्भपात गैर-कानूनी है।

ऊपर दी गई सभी स्थितियों में गर्भपात करवाने वाले को और डाक्टर या दाई को कड़ी सजा हो सकती है।

गर्भपात से जुड़ी एक और दुखद तथा गैर-कानूनी तस्वीर

हमारे समाज में बेटी और बेटे में भेद किया जाता है। बेटी के साथ जुड़े दहेज के मसले ने इस भेद को और गहरा बना दिया है। बेटे के पैदा होने के इंतजार में कई परिवारों में बेटियों का तांता लग जाता है।

इस सामाजिक अन्याय से बचने के लिए कई महिलाएं और परिवार भ्रूण जांच करवाते हैं। अगर गर्भ में लड़की होने

का पता चलता है तो गर्भपात करवा लेते हैं। इस तरह गर्भ में ही 'बेटी' की हत्या कर दी जाती है।

इसका मतलब यह हुआ कि बेटी को जन्म लेने का भी अधिकार नहीं!

इस तरह प्रसव-पूर्व भ्रूण के लिंग की जांच करवाना और बेटी होने पर भ्रूण का गर्भपात करवाना गैर-कानूनी है। इसमें वे सारे लोग अपराधी हैं जिन्होंने गर्भवती महिला को गर्भ जांच करवाने पर मजबूर किया। वे सभी अपराधी हैं जिन्होंने लिंग का पता चलने पर 'बेटी' का भ्रूण-अवस्था में गर्भपात करवा दिया।

वह महिला जो गर्भपात करवाती है, वह भी अपराधी है।

इस आधुनिक समाज में भी बेटी और बेटे में भेदभाव करना बहुत ही दुखद और कलंक की बात है।

क्या आप जानते हैं कि इस गैर-कानूनी भ्रू .-गर्भपात के कारण भारत के कई कस्बों में लड़कियों की तादाद घट रही है? अगर देश के स्तर पर पुरुष और स्त्री के अनुपात को देखें तो आंकड़े बताते हैं कि भारत में 1000 पुरुषों पर मात्र 933 स्त्रियां हैं। वजह साफ है। लड़कियों को पैदा ही नहीं होने दिया जाता। गर्भ में ही उनकी हत्या कर दी जाती है या फिर जन्म होते ही उन्हें मार दिया जाता है।

ये सभी व्यवहार गैर-कानूनी हैं। यह एक घोर दंडनीय

अपराध है। गैर-कानूनी गर्भपात करने और करवाने वालों को सजा और जुर्माना हो सकता है।

गोद लेने का कानून

कई पति-पत्नी बच्चे के लिए तरस जाते हैं। किसी कारणवश अगर उन्हें बच्चा नहीं होता, तो बच्चा गोद लेने का कानून भी है। बच्चा न होने का कारण सिर्फ महिला ही नहीं होती। पति या पत्नी दोनों की किसी शारीरिक कमी के कारण यह हो सकता है। ऐसी हालत में केवल महिला को दोषी ठहराना अनुचित है।

अगर पति-पत्नी चाहें तो बच्चा गोद ले सकते हैं। इससे जुड़े कानून को 'हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम,

बच्चा गोद लेने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरा करना जरूरी है।



1956’ कहते हैं। एक शादीशुदा दंपति इस कानून के तहत बच्चा गोद ले सकता है।

एक विधवा या तलाकशुदा औरत भी बच्चा गोद ले सकती है। यहां तक कि बच्चा गोद लेने के लिए लड़की का शादीशुदा होना भी जरूरी नहीं। एक बालिग लड़की या लड़का बच्चा गोद ले सकता है। कानून की निगरानी में परिवार के सदस्य बच्चा गोद दे सकते हैं। बच्चा अनाथालय या सरकारी मान्यताप्राप्त संस्था से गोद लिया जा सकता है।

बच्चा गोद लेने और देने में लेने वाले की माली हालत देखी जाएगी। उसके कानूनी कागजात बनाए जाएंगे। अदालत के जरिए बच्चा गोद लिया और दिया जाएगा।

गोद लिए बच्चे को वे सभी अधिकार मिले हैं जो मां के पेट से जन्मे बच्चे को सहज प्राप्त होते हैं।

बच्चा गोद लेने का यह कानून हिंदू धर्म के लोगों पर लागू होता है।

ईसाई और मुसलमानों के लिए गोद लेने के कानून के तहत वे बच्चा गोद ले सकते हैं, पर वे ‘संरक्षक’ के रूप में ही गोद ले सकते हैं। 21 वर्ष की आयु के बाद बच्चा आजाद हो सकता है। इस कानून को ‘संरक्षक और प्रतिपाल अधिनियम, 1890’ कहते हैं। इसमें गोद लेने वाले पालक ही होंगे, मां-बाप नहीं।

कामगार महिलाओं के अधिकार और विशेष सुविधाएं

शहरों में लोग दूर-दूर से रोजी-रोटी की तलाश में आते हैं। इनमें महिलाएं भी अपने परिवारों के साथ आती हैं। यहां आने की अनेक वजहों में से गरीबी भी एक वजह है। कई लोग ठेकेदार के साथ भी यहां आते हैं। पढ़े-लिखे लोग काम के नए-नए अवसरों की तलाश में आते हैं।

गरीब तबके की महिलाएं कई तरह के काम करती हैं। दिहाड़ी पर इमारत बनाने का काम, घरों में नौकरानी का काम, फैक्टरी में मजदूरी आदि। इसके अलावा, शहरों में आपने कुम्हार और गाड़िया लुहार की औरतों को भी काम करते देखा होगा। ये सारी महिलाएं अधिकतर अनपढ़ होती हैं। मजदूरी से जुड़े कानूनों के बारे में इन्हें बहुत कम जानकारी होती है। ये सारे काम असंगठित तबके के होते हैं।

इसके अलावा हजारों महिलाएं दफ्तरों, स्कूलों तथा अस्पतालों में काम करती हैं। पढ़ी-लिखी महिलाओं को सरकारी नौकरी भी मिल जाती है। यह नौकरी संगठित तबके

की मानी जाती है। इसमें संस्था होती है और हर ओहदे की तनखाह मिलती है। आपने कई महिलाओं को बैंकों में काम करते देखा होगा।

जो महिलाएं नौकरी नहीं करतीं वे घर के अंदर घर के सारे काम करती हैं। बच्चों की देखभाल और परिवार की सारी सहूलियतों की जिम्मेदारी उनकी होती है।

कामगार महिलाओं के लिए सरकार ने विशेष कानून बनाए हैं। इन कानूनों को 'मजदूरी या श्रम कानून' कहते हैं। आगे हम इन कानूनों पर चर्चा करेंगे।

समान वेतन कानून (समान मजदूरी कानून, 1976)

महिला मजदूरों का समाज में बहुत ही शोषण होता है। इस शोषण को रोकने के लिए 1976 में सरकार ने समान मजदूरी का कानून बनाया।

इस कानून के तहत समान काम के लिए औरतों और मर्दों को बराबर मजदूरी का अधिकार दिया गया है। चाहे महिला दिहाड़ी मजदूर हो या फैक्टरी मजदूर।

इसके अलावा, नौकरी में भरती के मामले में भी महिला और पुरुष में कोई भेदभाव करना गैर-कानूनी है। वेतन में भेदभाव करने की सजा हो सकती है।

अगर कोई महिला मजदूर को मालिक कम वेतन देता है तो वह श्रम अधिकारी से शिकायत कर सकती है। सारी

मजदूर महिलाएं एकजुट होकर अपना हक मांग सकती हैं। वे अपने साथ काम करने वाले पुरुष कामगारों की मदद ले सकती हैं। उन्हें न्याय दिलवाना सब कामगारों का फर्ज भी है। कानून मालिक के फर्ज को भी बताता है।

समान मजदूरी कानून के साथ एक और कानून जुड़ा है। इसे 'न्यूनतम मजदूरी नियम, 1948' कहते हैं। इसमें घंटे, दिन, हफ्ते या महीने के हिसाब से कम से कम कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, यह तय किया गया है। यह पुरुष और महिला मजदूरों को एक समान मिलेगी। जो मालिक इसमें भेदभाव करेगा वह अपराधी होगा। उसे कानून के तहत सजा हो सकती है। अगर दिहाड़ी पर महिला काम करती है और उसके साथ वेतन में धोखा होता है तो वह शहर के या अपने कस्बे के सरकारी दफ्तर के श्रम अधिकारी से मदद ले सकती है। इस अपराध के लिए 20 हजार रुपये तक जुर्माना या तीन महीने से एक साल तक की कैद की सजा तय की गई है।

नौकरी से जुड़ी महिलाओं को विशेष सुविधाएं

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

नौकरी से जुड़ी गर्भवती महिलाओं के लिए खास कानून की सुविधा है। कामगार महिलाओं को प्रसूति से जुड़े कई अधिकार दिए गए हैं :

- यह कानून ठेकेदारी मजदूर तथा कारखाना, खदान, बागान आदि जगहों पर काम करने वाले मजदूरों पर लागू होगा। इसके अलावा यह सरकारी दफ्तरों, ज्यादा कामगारों वाली दूकानों, सर्कस और नाटक कंपनियों आदि पर भी लागू होगा।
- प्रसव के छह हफ्ता पहले से छह हफ्ता बाद तक महिला मजदूरों को छुट्टी का अधिकार है। महिला 12 हफ्ते की एक साथ छुट्टी भी प्रसव के बाद ले सकती है। इन छुट्टी के दिनों का उसे पूरा वेतन मिलेगा। अगर प्रसूति के दौरान महिला बीमार हो जाती है, तो एक माह तक की छुट्टी की सुविधा भी दी जाती है।
- गर्भवती महिला को भारी काम न देने तथा प्रसूति के बाद आराम करने का समय आदि जैसी सुविधाएं भी देनी होंगी। बच्चे को स्तनपान कराने हेतु समय मिलना भी महिला का अधिकार है।

ठेकेदारी और फैक्टरी मजदूरी से जुड़े कानून

जो महिलाएं ठेकेदारी के तहत मजदूरी करती हैं, उनके लिए भी विशेष कानूनी सुविधाएं हैं।

- जैसे, 30 से अधिक मजदूर हों तो ठेकेदार को उनके रहने की सुविधा, काम की जगह पर महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय आदि की सुविधा देनी

होगी। इसके अलावा कैंटीन, दवाइयों और डाक्टर की सुविधा भी देनी होगी।

- इसके अलावा जो भी लिखित शर्तें होंगी उसकी सुविधा महिलाओं को भी देनी होगी। जैसे, महिला मजदूरों को 'पास बुक' देना। उनके पैसे का हिसाब पास बुक में ठीक-ठीक दर्ज करना आदि।

  इस तरह की सुविधाओं के लिए विशेष मजदूर कानून हैं। जैसे 'अंतर-राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम, 1979', 'फैक्टरी अधिनियम, 1948' आदि।

- काम करते समय दुर्घटना हो जाए, उसके लिए दुर्घटना मुआवजे का भी कानूनी अधिकार दिया गया है। इसके लिए खास कानूनी नियम बनाए गए हैं। इसे 'कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923' कहते हैं। अगर दुर्घटना कामगार की अपनी गलती से हो तो मुआवजा नहीं मिलता।

सबसे अहम बात

याद रहे, अपने मजदूरी अधिकार और सुविधाएं पाने के लिए सारी कार्यवाही लिखित होनी चाहिए। इन कानूनी दरखास्तों के लिए खास नियमों के तहत कार्यवाही करनी होगी। जैसे :

- प्रसूति सुविधाओं के लिए छुट्टी की अर्जी ठीक से

लिखना। किस तारीख से किस तारीख तक छुट्टी ली जाएगी, यह साफ-साफ लिखा जाए।

- मुआवजा लेने के लिए सभी जानकारी को साफ-साफ नियमित रूप से लिखना। मुआवजे की रकम ठीक से दर्ज करना।

कानूनों को तोड़ने की सजा

अगर मालिक कानूनों को तोड़ता है तो वह अपराधी है। जांच के बाद दोषी साबित होने पर उसे सजा हो सकती है। इसमें 3 महीने से लेकर एक साल तक की जेल हो सकती है या रु. 5000/- तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं।

पुलिस से संबंधित अधिकार और कानून

समाज में कानून और शांति की हिफाजत के लिए पुलिस का महकमा बनाया गया है। घोर अपराधों की थाने में शिकायत होती है।

पुलिस के महकमे से जुड़ी कुछ खास बातें हमें जाननी जरूरी हैं। ये इस प्रकार हैं :

- कौन-कौन-से अपराधों में सजा हो सकती है इसे 'भारतीय दंड संहिता, 1960' में बताया गया है। इस

संहिता में यह भी बताया गया है कि किस जुर्म की क्या सजा होगी।

- पुलिस की कार्यवाही और जांच किस तरह होगी इसके भी खास कानूनी नियम हैं। यह 'दंड प्रक्रिया संहिता, 1973' के पुलिस कानून में बताया गया है।

गिरफ्तारी

- अगर पुलिस किसी अपराध के लिए किसी को गिरफ्तार करती है, तो उसे बताना होगा कि किस अपराध के लिए गिरफ्तारी की जा रही है।
- अपराध करने का किसी पर शक हो तो थाने ले जाते समय उसे हथकड़ी नहीं पहनाई जाती।
- पुलिस पहले मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी की रपट देती है।
- अगर पकड़े गए व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना है तो मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी है।
- हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ बुरा सुलूक नहीं किया जा सकता।
- महिला की जांच महिला पुलिस ही करेंगी।

जमानत

- जमानत कैसे और किन हालात में दी जाती है, इसके भी कानूनी नियम हैं। कुछ घोर फौजदारी अपराधों में

जमानत नहीं मिलती। 'जमानत-पत्र' के द्वारा जमानत दी जाती है।

- जमानत न मिलने पर कैद में रखा जाता है। या पकड़े गए व्यक्ति को पुलिस थाने में हिरासत में रहना पड़ता है।

पूछताछ की कार्यवाही

पूछताछ की कार्यवाही के लिए भी कानूनी आदेश दिए गए हैं।

- यह जरूरी नहीं कि पुलिस के सामने कोई अपने अपराध को कबूल करे। अभियुक्त कई बार अपने बयान बदल देता है।
- जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, कानून उसे ही मानता है।
- बयान कभी पुलिस के दबाव में आकर नहीं देना चाहिए।
- अदालत में सुनवाई के लिए पकड़े गए व्यक्ति को वकील की मदद मांगने का अधिकार है। जो अभियुक्त गरीब हैं उन्हें मुफ्त सलाह मांगने का अधिकार भी है। अदालत अभियुक्त को वकील की मदद दिलवाएगी।

प्रथम सूचना रपट (एफ.आई.आर.)

किसी भी दंडनीय अपराध की पुलिस को सबसे पहले दी गई

सूचना को 'प्रथम सूचना रपट' या एफ.आई.आर. कहते हैं। कानूनी नियमों में यह बहुत ही जरूरी कार्यवाही है। इसके लिए कुछ खास नियमों का जानना जरूरी है।

- प्रथम या पहला सूचना रपट मुंहजबानी लिखवाया जा सकता है।
- लिखित प्रथम सूचना रपट की अहमियत ज्यादा है।
- अगर पुलिस यह सूचना लिखती है, तो लिखने के बाद वह लिखवाने वाले को पढ़कर सुनाएगी। फिर उस पर दस्तखत लेगी या अंगूठे का निशान लगवाएगी।
- प्रथम सूचना रपट घटना के तुरंत बाद लिखवाना जरूरी है।
- यह रपट थानेदार के अलावा पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त भी लिख सकता है।
- प्रथम सूचना रपट की कार्यवाही के बाद जांच अधिकारी घटना की छानबीन करेगा।

कानूनी छानबीन

- कानूनी छानबीन में सबूतों का बहुत ही महत्व है। छोटे-से-छोटे सबूत को भी संभाल कर रखना चाहिए।
- गवाही की भी बहुत बड़ी अहमियत है। दहेज हत्या में, मारपीट के अपराध में गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। जांच अधिकारी को पूरा सहयोग देना गवाहों का फर्ज है।

- महिलाओं के साथ होने वाले कई अपराधों में सबूत और गवाह अपराधी को पकड़वाने में मदद देते हैं।

इनके बारे में कई नियम हम पहले जान गए हैं। जैसे बलात्कार और हत्या आदि के बारे में हमने पुलिस की कार्यवाही को गहराई से जानने की कोशिश की है।

विवाह और संपत्ति के अधिकार और कानून

हमारे देश में अलग-अलग धर्मों और बिरादरी के अलग-अलग रीति-रिवाज हैं। विवाह के मामले में कानून के तहत हर धर्म के लिए विवाह के नियम तय किए गए हैं।

ये कानून किसी भी धर्म के तहत अन्याय को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों के तहत हर धर्म में महिलाओं के अधिकारों की हिफाजत के नियम बनाए गए हैं। ये कानून इस प्रकार हैं :

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

- इस विवाह के तहत 'सप्तपदी' या 'सात फेरों' को मान्यता दी गई है।
- यह कानून हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों पर लागू होता है।
- मंदिर में लड़का-लड़की द्वारा एक-दूसरे को माला पहना कर की गई शादी गैर-कानूनी मानी जाएगी।
- पहली पत्नी के होते दूसरा विवाह गैर-कानूनी है।
- लड़के और लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र तय की



मंदिर में लड़का-लड़की द्वारा एक-दूसरे को माला पहना कर की गई शादी
गैर-क़ानूनी मानी जाएगी।

गई है। लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष। इस उम्र से कम उम्र लड़के/लड़की की शादी 'बाल-विवाह' कानून के तहत गैर-कानूनी है।

- 'बाल-विवाह' पर कानूनन पाबंदी है। यह 'बाल-विवाह विरोधी अधिनियम, 1929' के तहत है। जो 'बाल-विवाह' करते या करवाते हैं, उनके लिए कड़ी सजा तय की गई है। इसके लिए 3 महीने तक की सश्रम कैद हो सकती है।
- खून की रिश्तेदारी में शादी नहीं की जा सकती।
- धोखे से की गई शादी रद्द हो सकती है।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत दो अलग-अलग धर्मों के लड़का-लड़की शादी कर सकते हैं। इसमें धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं होती।

तलाक की सुविधा व गुजारा-भत्ता कानून

- हिंदू विवाह के तहत तलाक की सुविधा दी गई है। यदि पति और ससुराल वाले बहू के साथ मार-पीट करते हैं, उसे मानसिक पीड़ा देते हैं, या दहेज के लिए तंग करते हैं, तो महिला तलाक ले सकती है।
- पति का किसी अन्य स्त्री से नाजायज संबंध होने पर भी पत्नी तलाक ले सकती है।
- तलाक के बाद पत्नी को गुजारा-भत्ता देने का कानून है।

पत्नी अदालत की मदद से यह ले सकती है।

ऐसे मामलों में 'नारी अदालतें' मदद कर सकती हैं। गरीब तबके की महिलाएं 'नारी अदालत' से मदद ले सकती हैं। यहां खर्च बहुत कम होता है। सरकारी वकील पीड़ित महिला को मुफ्त में भी सहायता देते हैं।

- बूढ़े माता-पिता को भी गुजारे-भत्ते का अधिकार है।
- विधवा स्त्री को पति की संपत्ति में से गुजारे भत्ते का अधिकार है। वह ससुर से भी यह मांग कर सकती है।

धन-संपत्ति कानून

- विधवा स्त्री को पुश्तैनी संपत्ति में हिस्से का हक है। उसे पुश्तैनी मकान में भी रहने का हक है।
- संपत्ति दो तरह की होती है—अचल संपत्ति, जैसे—मकान, जमीन आदि। चल संपत्ति, जैसे—बर्तन, गहने, कपड़ा, पैसा, गाड़ी आदि।
- हिंदू धर्म के तहत शादी में दी गई भेंट महिला की संपत्ति है। खुद की कमाई पर भी उसी का हक है।
- विरासत और वसीयत के तहत मिली संपत्ति पर उसका ही अधिकार है। वह अपनी संपत्ति जिसे चाहे दे सकती है। उसकी वसीयत कर सकती है।

इसके अलावा

- महिला, पुरखों की जायदाद की वसीयत नहीं कर सकती। पुरुष यह कर सकता है।
- हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 के तहत तय किया गया है कि सभी बच्चों का माता-पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार है।

वसीयत

अपनी संपत्ति की वसीयत लिखना हर महिला का अधिकार है। वह अपनी संपत्ति जिसे चाहे दे सकती है। कानून के तहत वसीयत करने के नियम हैं, जैसे :

- वसीयत एक सादे कागज पर लिखी जा सकती है। इसमें अचल और चल संपत्ति की पूरी जानकारी होनी चाहिए।
- संपत्ति किसे दी जाएगी उसकी पूरी जानकारी लिखनी होगी। एक से अधिक लोगों को दी गई चीजों की क्रमवार, नाम और सूची के साथ जानकारी देना जरूरी है।
- इस वसीयत पर दो गवाहों के दस्तखत होंगे। इनकी उम्र 20 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
- वसीयत अपनी मर्जी से और पूरे होशो-हवास में लिखी गई होनी चाहिए।

मुस्लिम शादी के कानून

- शादी की रस्म में 'निकाहनामा' लिखा जाता है। इसमें

मेहर और तलाक आदि की शर्तें होती हैं। शादी का सर्टिफिकेट दिया जाता है।

- शादी की उम्र कानून द्वारा तय की गई है—21 वर्ष लड़के की और 18 वर्ष लड़की की।
- तलाक की सुविधा भी है। तलाक के कई तरीके हैं। पति की मंजूरी मिलने पर या पति को कुछ पैसे देकर उसकी मंजूरी से, आदि। इसके अलावा अदालत की मदद से भी महिला तलाक ले सकती है। इसके लिए खास कानून हैं। इसे मुस्लिम शादी को भंग करने का कानून, 1939 कहते हैं। इसके तहत दरखास्त दी जाती है।
- इन हालात में अदालती तलाक लिया जा सकता है : स्त्री पर जुल्म; पत्नी की सम्पत्ति पति बेच दे; पति बदनाम जिंदगी जीता हो; पति को 7 साल से ज्यादा की जेल हो जाए; अगर लड़की की उम्र 15 साल से कम की हो; पति रोगी या पागल हो, आदि।
- तलाक के बाद बच्चे कहां रहेंगे, यह फैसला आपस में हो सकता है या अदालत में।

सम्पत्ति का अधिकार

- सुन्नी मुस्लिम समाज में पुरुष (पति) के ओर की रिश्तेदारी के जरिये ही सम्पत्ति में हक मिलता है।
- शिया मुस्लिम समाज में पुरुष और स्त्री दोनों के

रिश्तेदारों का विरासत में हक माना गया है।

- सभी हकदारों को बराबर का हक मिलेगा।
- पुरुष को महिला से दोगुना हिस्सा मिलेगा।
- मुस्लिम महिला बेटी की हैसियत से, विधवा की हैसियत से, दादी की हैसियत से, पोती की हैसियत से धन-सम्पत्ति में हिस्सा पाने की हकदार है।

मेहर का रिवाज

मुस्लिम विवाह में मेहर की बड़ी अहमियत है। यह लड़के की तरफ से लड़की को दी जाने वाली एक तरह की हिफाजत रकम है। इसके कई तरीके हैं :

- लड़की शादी के समय या शादी के बाद कभी भी मेहर ले सकती है। मेहर की सीमा पति तय करता है।
- अगर स्त्री को मेहर न दिया जाए तो अदालत की मदद से इसे लिया जा सकता है। मेहर मिलने से पहले पत्नी की मौत हो जाए तो बच्चे मेहर हासिल कर सकते हैं।
- यदि पति की मृत्यु हो जाए तो उसकी सम्पत्ति में से स्त्री को मेहर दी जाएगी।
- पति से तलाक होने पर भी स्त्री मेहर, ले सकती है।

खर्च भत्ता या नफाका

- पति का फर्ज है कि वह पत्नी और बच्चों का खर्चा-पानी

दे। अगर वह नहीं देता तो विशेष कानून के तहत औरत यह खर्चा हासिल कर सकती है।

- तलाक के बाद इद्दत के तीन महीने तक औरत का पूरा खर्चा उसका पति देगा। मुस्लिम औरतों को इद्दत के बाद भी खर्चे-भत्ते का हक है। यह फौजदारी कानून के तहत औरत ले सकती है।
- मुस्लिम शादी के रीति-रिवाजों में विशेष विवाह भी मान्य है। अगर धर्म अलग है तो इस कानून के तहत शादी हो सकती है।

जायदाद पर हक के नियम

जायदाद पर औरत का हक आदमी से आधा होता है। बेटी, विधवा, मां, दादी-नानी, पोती आदि सभी औरतें वारिस हो सकती हैं। इन सब औरतों को कितना हिस्सा मिलेगा यह भी तय किया गया है। एक से अधिक बीवियां हों तो हर एक को हक दिया गया है।

वसीयत

अपनी मृत्यु के बाद सम्पत्ति या जायदाद किस तरह से और किसको दी जाएगी, इसे वसीयत कहते हैं। जिसके नाम वसीयत की जाती है उसे वारिस कहते हैं।

औरत अपनी जायदाद की वसीयत कर सकती है। इसके तरीके के बारे में बताया जा चुका है।

भारतीय ईसाई विवाह कानून

ईसाई धर्म के लोगों का अपना निजी कानून है। इस कानून को 'भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872' कहते हैं। अगर लड़का और लड़की दोनों ईसाई हों, या दोनों में से एक ईसाई हो तो ऐसी हालत में शादी हो सकती है। अगर धर्म अलग हों और वे विशेष विवाह करना चाहते हों तो कर सकते हैं। यह विशेष विवाह कानून के तहत होगा।

ईसाई विवाह चर्च में किया जाता है। शादी का रजिस्ट्रेशन होता है। भारतीय ईसाइयों में सर्टिफिकेट भी दिया जाता है।

पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह गैर-कानूनी है। बाल-विवाह गैर-कानूनी है।

तलाक

कई हालात में पत्नी तलाक ले सकती है। जैसे, पति धर्म बदल कर दूसरा विवाह कर ले; पति, पत्नी पर अत्याचार, जैसे मार-पीट करे, ताने दे, दहेज के लिए सताए, गलत इल्जाम लगाए आदि।

तलाक के बाद पत्नी खर्चे-भत्ते की हकदार है, अगर औरत अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकती। अदालत उसके पति को आदेश दे सकती है। औरत की क्या-क्या जरूरतें हैं, इसके आधार पर भत्ता तय होगा। अगर औरत दुबारा शादी कर ले तो यह खर्चा नहीं मिलेगा।

सम्पत्ति और वसीयत का अधिकार

- हर औरत अपने नाम से सम्पत्ति खरीदने और रखने की हकदार है। अपनी कमाई पर उसका खुद का हक है। सम्पत्ति में अचल और चल दोनों चीजें हो सकती हैं। जैसे, गहने, सिलाई मशीन, अपनी कमाई आदि। इसके अलावा जमीन, खेत, मकान, जो उसके नाम है, वह भी उसी की सम्पत्ति है।
- ईसाई धर्म में स्त्री अपने पति की जायदाद में एक-तिहाई हिस्से की हकदार है। बची हुई जायदाद में सभी बच्चों को समान हिस्सा मिलेगा।
- कोई भी स्त्री अपनी सम्पत्ति की वसीयत कर सकती है। वसीयत कैसे लिखी जाएगी, यह हम पहले ही बता चुके हैं।

भाग-3

राजनीति में हिस्सेदारी और विशेष आरक्षण

हमारी पृथ्वी पर लगभग आधी आबादी औरतों की है और आधी मर्दों की। प्रकृति ने महिला और पुरुष या लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया। हवा, पानी, रोशनी जितनी पुरुषों को मिलती है उतनी ही स्त्रियों को भी। लेकिन हमारा समाज स्त्री और पुरुष में भेदभाव करता है। यह भेदभाव कई तरह से और कई स्तरों पर देखने को मिलता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या अन्य किसी भी क्षेत्र में यह भेदभाव साफ दिखता है। स्त्री की दुनिया अक्सर घर की चहारदीवारी तक सिमटी होती है। पुरुषों को पढ़ाई, कमाई या आगे बढ़ने के अनेक अवसर मिलते हैं, किंतु उतने ही अवसर स्त्रियों को भी नहीं मिलते।

राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसा ही है। चुनाव में भी ज्यादातर पुरुष ही हिस्सा लेते हैं। बहुत ही कम महिलाएं चुनाव लड़ पाती हैं। समाज स्त्री को एक 'आसरा' देने, या 'सहायता' देने की चीज ही मानता आया है। उसे हमेशा

'आश्रिता' के रूप में ही देखा गया है। पर यह हालत अब बदल रही है।

महिलाओं को मत देने का अधिकार 1921 में मिला। लेकिन पंचायत स्तर पर किसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का अधिकार 1992 में मिला। इसी वर्ष (1992) महिलाओं को पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून बना था। इसे 73वां संविधान संशोधन विधेयक, 1992 कहते हैं। इस विधेयक के तहत अब देश की महिलाएं पंचायत में चुनाव लड़ रही हैं। पंचायत की प्रधान भी बन रही हैं। कम पढ़ा-लिखा या अनपढ़ होना उनके रास्ते की रुकावट नहीं रही।

इस अधिकार के तहत महिलाएं अपनी समस्याओं पर निर्णय ले रही हैं। मसला चाहे पीने के पानी का हो, मजदूरी का या शिक्षा का हो; इन सभी पर वे चचा कर रही हैं। अपने गांव और जिले का नेतृत्व कर रही हैं। गांव के बुजुर्ग और पुरुष सभी इस महिला नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं।

पर राज्य और देश के स्तर पर यह आरक्षण अभी नहीं मिला है। इसके लिए '81वां संविधान संशोधन विधेयक' संसद के पटल पर चर्चा के लिए रखा गया है। अभी चर्चा जारी है।

महिला कानूनों की सतत जांच और सुधार

सरकार ने महिलाओं के अधिकारों और उनसे जुड़े कानूनों की सतत जांच की भी सुविधा की है। बदलते समय में कई नए कानूनों की जरूरत है। पुराने कानूनों में भी सुधार की जरूरत है। महिलाओं के हित में उनके मामलों को देखने के लिए सरकार ने कई संस्थाएं बनाई हैं।

आइए, हम इन संस्थाओं के बारे में जानें :

राष्ट्रीय महिला आयोग

सरकार ने कानून के तहत 'राष्ट्रीय महिला आयोग' का गठन किया है। इस आयोग की शाखाएं राज्य स्तर पर भी बनाई गई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया। यह गठन 'राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990' के तहत किया गया है।

आयोग के मुख्य कार्य

- कानून के तहत महिलाओं को दी गई सुरक्षा की सतत जांच। महिलाओं के हित में बनाए गए कानून उनकी कहां तक मदद कर पा रहे हैं, इन पर नजर रखना तथा इन कानूनों को और भी मजबूत बनाने के लिए सरकार को सुझाव देना।
- कानून की कमियों की जांच। कानून के दुरुपयोग की

जांच। इनमें सुधार के सुझाव देना।

- महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के मामलों की जांच करना। इनसे जुड़ी कार्यवाही में मदद करना। इन मामलों को कानूनी महकमे में उठाना और मदद दिलवाना।
- कैदी महिलाओं के अधिकारों की भी जांच करना। 'सुधार संस्थाओं' की कार्यवाही पर निगरानी रखना। उचित सुधार की सलाह देना।
- कानूनी शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
- 'नारी अदालत' जैसी सुविधाओं में परामर्श देना।
- पीड़ित महिला या हादसे की छानबीन में मामले को

महिला आयोग कैदी महिलाओं के अधिकारों की भी जांच करती है।



कानून तक पहुंचाना।

महिलाओं के अपराधों से जुड़ी कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को दीवानी (सिविल) अदालत के अधिकार हासिल हैं। इसीलिए आयोग में वकील और 'कानूनी सेल' की सुविधा भी है।

कानून को आम लोगों तक पहुंचाने की सुविधाएं

अकसर अदालत और वकील के नाम से लोग घबरा जाते हैं। पर पिछले कई सालों से कानून को आम लोगों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अदालत से बाहर आम नागरिकों को कानूनी शिक्षा और कानूनी सहायता के लिए सहायता-संस्थाएं बनाई गई हैं। महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। :

इन सुविधाओं के बारे में जानकारी के अभाव में महिलाएं इसका उपयोग नहीं कर पाती हैं।

कानूनी मामलों को सुलझाने के उपाय

कानूनी मामलों को सुलझाने के लिए अदालत है, वकील और जज हैं। आम लोगों, खासकर गरीब तबके की महिलाओं के लिए अदालत और वकील उनकी बस्तियों और मुहल्लों तक जाकर कानूनी मदद देते हैं। इसके अलावा लोगों को मुकदमे से पहले की कार्यवाही के लिए तैयार करने की सहायता भी मिल सकती है।

अब हम इन्हीं मुद्दों पर जानकारी देंगे।

मुकदमे से पहले की कार्यवाही

- कानून तक पूरी तैयारी के साथ जाना जरूरी है। मुकदमे से पहले की कार्यवाही क्या-क्या होगी, कैसे होगी, इसकी जानकारी आम आदमी को होना जरूरी है। सरकार ने इसके लिए सहायता की सुविधा दी है।
- राष्ट्रीय महिला आयोग में 'मुकदमा पूर्व प्रकोष्ठ' बनाया गया है। यह प्रकोष्ठ या सेल मुंहजबानी और लिखी हुई शिकायतों पर कार्यवाही करता है।
- इसमें दहेज, दहेज-मृत्यु, बलात्कार, घरेलू हिंसा, विधवा को खर्चा-भत्ता, तलाक के बाद मुआवजा और प्रथम सूचना रपट आदि मामलों पर कार्यवाही/जांच होती है।
- पीड़ित महिला को कानून की जानकारी दी जाती है। उस कानून के तहत क्या-क्या कदम उठाने होंगे, इसके बारे में बताया जाता है।
- यह 'सेल' पीड़ित महिला को कानूनी अफसरों से मिलने में मदद करता है। इन महिलाओं के मामलों की ठीक ढंग से पेशी के लिए सहायता करता है।
- इसके अलावा मुकदमे से पहले की तैयारी पर चर्चाएं करवाना, सभाएं आयोजित करना—इस तरह के कार्यक्रम भी 'सेल' द्वारा करवाए जाते हैं।

- यह 'सेल' महिलाओं को अपना संगठन बनाने में भी मदद करता है। सामूहिक संगठन अपने कानूनी अधिकारों के लिए लड़ने में महिलाओं को ताकत देता है।
- इसके अलावा महिलाओं की समस्याओं तथा कानूनी जानकारी को रेडियो, टी.वी. और समाचार पत्रों के माध्यमों तक ले जाने में भी 'सेल' की अहम भूमिका है।

गैर-अदालती सुविधाएं

हर शहर में प्रशासन के लिए सरकारी दफ्तर होते हैं। इन दफ्तरों में महिलाओं के लिए खास 'शिकायत इकाइयां' बनाई गई हैं। महिलाएं इन इकाइयों में अपनी शिकायतें ले जा सकती हैं। यहां महिलाओं को कानूनी जानकारी भी मिल सकती है।

अनौपचारिक उपाय

महिलाओं को न्याय मिलने में देर न हो इसके लिए कई गैर-सरकारी संस्थाएं भी कार्यरत हैं। ऐसी संस्थाएं लगभग हर शहर में होती हैं। ये गरीब तबके के लोगों को खर्च के जाल से बचाती हैं। महिलाओं के मसलों से जुड़ी कुछ प्रमुख संस्थाओं की जानकारी इस प्रकार है :

पारिवारिक लोक अदालत/लोक अदालत

लोक अदालत एक स्वैच्छिक इकाई है। यह जागरूक वकील,

समाज सेवकों और पीड़ितों को एक मंच पर लाती है। कई कानूनी मसले अदालत से बाहर कानूनी नियमों के आधार पर इन लोक अदालतों में निपटाए जाते हैं। लोक अदालतें लोगों के बीच में, बस्तियों में गठित होती हैं।

महिला लोक अदालत

महिला लोक अदालतें महिलाओं से जुड़े मामलों को निपटाती हैं। महिला संगठन और गैर-सरकारी संस्थाएं महिला लोक अदालत का गठन करती हैं। कई महिला विकास कार्यक्रमों के तहत शहर और गांवों में इनका गठन किया जाता है।

देश के कई शहरों और गांवों में 'महिला अदालतें' या 'नारी अदालतें' बहुत सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। इन अदालतों में वकील मुफ्त सेवा देते हैं। यहां पीड़ितों को सलाह और जानकारी भी दी जाती है।

कानूनी कार्यवाही 'नारी अदालत' में होती है। मसले का हल जल्द-से-जल्द निकालने की कोशिश की जाती है।

महिलाओं के कई मसले, जैसे—तलाक, दहेज, गुजारा-भत्ता, विधवा का उसका हक, 'स्त्रीधन' की वापसी, जमीन आदि के कई मामले 'नारी अदालत' में सुलझाए जाते हैं।

कानूनी साक्षरता और सहायता

कानूनी शिक्षा और साक्षरता को अब काफी महत्व दिया जाने लगा है। स्कूल-कालेजों में और साक्षरता, उत्तर-साक्षरता

कार्यक्रमों में कानूनी साक्षरता के कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कई गैर-सरकारी संस्थाएं भी इस तरह के कार्यक्रम चला रही हैं। जो समाज सेवी और महिला विकास कार्यकर्ता इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके प्रशिक्षण की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

इन संस्थाओं के पते और टेलिफोन नम्बर महिलाओं को अपने पास रखने चाहिए। जब भी जरूरत हो महिलाएं इन संस्थाओं से संपर्क कर सकती हैं।